फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

जम्बो फिनवेस्ट लि0 शाखा बाड़ी बनाम गुड्डीदेवी पत्नी राजवीरसिंह बगैरा।

मु0 नम्बर 21 सन् 2019
RCMS No. 2019/00041

किस्म मुकदमा:-अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.19	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री जितेन्द्रसिंह प्राधिकृत अधिकारी, जम्बो फिनवेस्ट लि0 शाखा बाड़ी ने ऋणी/बंधक कर्त्ता संख्या 1. श्रीमती गुड्डीदेवी पत्नी श्री राजवीरसिंह परमार पता मकान नं0 123 चौवा का पाड़ा ग्राम घोई पोस्ट बसेड़ी जिला धौलपुर 2. श्री राहुलसिंह परमार पुत्र श्री राजवीरसिंह परमार पता 112-के ए. बाजार तिराहा स्टेशन रोड़ तिमासिया, तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 26.02.2016 को 1,00,00,000/-रूपये मात्र (एक करोड़ रूपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:- 1. श्रीमती गुड्डीदेवी पत्नी श्री राजवीरसिंह परमार की की सम्पत्ति जो कि पंचायत समिति बसेड़ी स्टेशन रोड़ तिमासिया बसेड़ी जिला धौलपुर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप 617.36 वर्ग फीट है। जिसकी चारों सीमाएं निम्न प्रकार है:- पूर्व में कैलाश चन्द का मकान व दुकान, पश्चिम में संगोरी वाले तेली का मकान व दुकान, उत्तर मे स्टेशन रोड़ तिमासिया, दक्षिण में ग्याजित पंडित का प्लॉट है। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 1.12.2018 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 27.02.2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 1,93,13,487/- रूपये मात्र दिनांक 1.12.2018 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of	380-82 12-6-19

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है ।

हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पत्ति 1. श्रीमती गुड्डीदेवी पत्नी श्री राजवीरसिंह परमार की की सम्पत्ति जो कि पंचायत समिति बसेड़ी स्टेशन रोड तिमासिया बसेड़ी जिला धौलपुर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप 617.36 वर्ग फीट है। जिसकी चारों सीमाएं निम्न प्रकार हैः– पूर्व में कैलाश चन्द का मकान व दुकान, पश्चिम में संगोरी वाले तेली का मकान व दुकान, उत्तर मे स्टेशन रोड तिमासिया, दक्षिण में ग्याजित पंडित का प्लॉट है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक 12.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा गिरि)
जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर
जिला कलक्टर धौलपुर